नई धारा 174क का अंतःस्थापन।

66. आय-कर अधिनियम के अध्याय 15 में, धारा 174 के पश्चात् और "ट—अपनी आस्तियों को अन्यसंक्रांत करने की चेष्टा करने वाले व्यक्ति" उपशीर्ष से पहले, निम्नलिखित उपशीर्ष और धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

"त्रक--किसी विशिष्ट घटना या प्रयोजन के लिए बनाया गया व्यक्तियों का संगम या व्यष्टियों का निकाय या कृत्रिम विधिक व्यक्ति

किसी विशिष्ट घटना या प्रयोजन के लिए बनाए गए व्यक्तियों के संगम या व्यष्टियों के निकाय या कृत्रिम विधिक व्यक्ति का निर्धारण।

174क. धारा 4 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां निर्धारण अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि किसी विशिष्ट घटना या प्रयोजन के लिए बनाए गए या स्थापित या निगमित व्यक्तियों का कोई संगम या व्यष्टियों का कोई निकाय या कोई कृत्रिम विधिक व्यक्ति के, किसी ऐसे निर्धारण वर्ष में, जिसमें ऐसा व्यक्तियों का संगम या व्यष्टियों का कोई निकाय या कोई कृत्रिम विधिक व्यक्ति, बनाया गया, स्थापित या निगमित किया गया था या ऐसे निर्धारण वर्ष के पश्चात् विघटित होने की संभावना है, वहां उस निर्धारण वर्ष के लिए, पूर्ववर्ती वर्ष की समाप्ति से उसके विघटन की तारीख तक की अवधि के लिए, ऐसे व्यक्ति या निकाय या विधिक व्यक्ति की कुल आय, उस निर्धारण वर्ष में कर के लिए प्रभार्य होगी और धारा 174 की उपधारा (2) से उपधारा (6) तक के उपबंध, जहां तक हो सके, ऐसे व्यक्ति के मामले में किन्हीं कार्यवाहियों को वैसे ही लागू होंगे, जैसे वे भारत छोड़ने वाले व्यक्तियों की दशा में लागू होते हैं ।"।

धारा 190 का संशोधन।

67. आय-कर अधिनियम की धारा 190 में, "अग्रिम संदाय द्वारा" शब्दों के पश्चात्, "या धारा 192 की उपधारा (1क) के अधीन संदाय द्वारा" शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षर, 1 जून, 2002 से अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 192 का संशोधन।

68. आय-कर अधिनियम की धारा 192 में, 1 जून, 2002 से,—

(क) उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"(1क) उपधारा (1) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, परिलब्धियों के रूप में किसी आय का संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति, जो धारा 17 के खंड (2) में निर्दिष्ट धनीय संदाय के रूप में उपबंधित नहीं है, अपने विकल्प पर ऐसी संपूर्ण आय पर या उसके भाग के संबंध में उस समय जब ऐसा कर उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन अन्यथा कटौती योग्य था, उससे कोई कटौती किए बिना कर का संदाय कर सकेगा।

(1ख) उपधारा (1क) के अधीन कर का संदाय करने के प्रयोजन के लिए या, उपधारा (1क) में निर्दिष्ट आय सहित "वेतन" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय पर वित्तीय वर्ष के लिए प्रवृत्त दरों के आधार पर संगणित आय-कर के औसत पर अवधारित किया जाएगा और इस प्रकार संदेय कर का यह अर्थ लगाया जाएगा मानो यह उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार "वेतन" शीर्ष के अधीन आय से स्रोत पर कटौती योग्य कर था और वह इस अध्याय के उपबंधों के अधीन होगा ।";

(ख) उपधारा (3) में, "उपधारा (1)" शब्द, कोष्ठकों और अंक के पश्चात्, "या उपधारा (1क)" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 193 का संशोधन।

69. आय-कर अधिनियम की धारा 193 के परंतुक में, खंड (v) के पश्चात् और स्पष्टीकरण से पूर्व, निम्नलिखित खंड, 1 जून, 2002 से अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"(vi) जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 के अधीन स्थापित भारतीय जीवन बीमा निगम को ऐसी किन्हीं प्रतिभूतियों की बाबत, जिन पर उसका स्वामित्व है या जिसमें उसका पूर्ण फायदाग्राही हित है, संदेय कोई ब्याज ; या 1956 का 31

(vii) साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 की धारा 16 की उपधारा (1) के अधीन बनाई गई स्कीमों के आधार पर बनाए गए भारतीय साधारण बीमा निगम (जिसे इस खंड में इसके पश्चात् निगम कहा गया है) को या चार नई कंपनियों में से किसी को ऐसी किन्हीं प्रतिभूतियों की बाबत, जिन पर निगम या उस कंपनी का स्वामित्व है या जिनमें ऐसे निगम या ऐसी कंपनी का पूर्ण फायदाग्राही हित है, संदेय कोई ब्याज ; या 1972 का 57

(viii) किसी अन्य बीमाकर्ता को ऐसी किन्हीं प्रतिभूतियों की बाबत, जिन पर उसका स्वामित्व है या जिसमें उसका पूर्ण फायदाग्राही हित है, संदेय कोई ब्याज ।"।

धारा 194 का संशोधन।

70. आय-कर अधिनियम की धारा 194 में पहले और दूसरे परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक, 1 जून, 2002 से रखा जाएगा, अर्थात्:—

"परंतु यह कि इस धारा के उपबंध, निम्नलिखित में जमा या संदत्त ऐसी आय को लागू होंगे,—

(क) जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 के अधीन स्थापित भारतीय जीवन बीमा निगम को ऐसे किन्हीं शेयरों की बाबत, जिन पर उसका स्वामित्व है या जिसमें उसका पूर्ण फायदाग्राही हित है, 1956 का 31

(ख) साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 की धारा 16 की उपधारा (1) के अधीन बनाई गई स्कीमों के आधार पर बनाए गए भारतीय साधारण बीमा निगम (जिसे इस परंतुक में इसके पश्चात् निगम कहा गया है) को या चार नई कंपनियों में से किसी को (जिसे इस परंतुक में इसके पश्चात् ऐसी कंपनी कहा गया है) ऐसे किन्हीं शेयरों की बाबत, जिन पर निगम या उस कंपनी का स्वामित्व है या जिनमें ऐसे निगम या ऐसी कंपनी का पूर्ण फायदाग्राही हित है,; या 1972 का 57

(ग) किसी अन्य बीमाकर्ता को ऐसे किन्हीं शेयरों की बाबत, जिन पर उसका स्वामित्व है या जिसमें उसका पूर्ण फायदाग्राही हित है ।"।

धारा 194क का संशोधन।

71. आय-कर अधिनियम की धारा 194क की उपधारा (1) के पश्चात् और स्पष्टीकरण से पूर्व, निम्नलिखित परन्तुक, 1 जून, 2002 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"परंतु ऐसा कोई व्यष्टि या हिंदू अविभक्त कुटुंब, जिसका कुल विक्रय, उसके द्वारा किए जा रहे कारबार या वृत्ति से सकल प्राप्तियां या आवर्त, उस वित्तीय वर्ष के, जिसमें ऐसा ब्याज जमा या संदत्त किया जाता है, ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान धारा 44कख के खंड (क) या खंड (ख) के अधीन विनिर्दिष्ट धनीय सीमाओं से अधिक हो जाता है, इस धारा के अधीन आय-कर की कटौती के लिए दायी होगा ।"।

72. आय-कर अधिनियम की धारा 194ग की उपधारा (2) के पश्चात् और स्पष्टीकरण से पूर्व, निम्नलिखित परन्तुक, 1 जून, 2002 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:— धारा 194ग का संशोधन।

"परंतु ऐसा कोई व्यष्टि या हिंदू अविभक्त कुटुंब, जिसका कुल विक्रय, उसके द्वारा किए जा रहे कारबार या वृत्ति से सकल प्राप्तियां या आवर्त, उस वित्तीय वर्ष के, जिसमें ऐसी रकम उपठेकेदार के खाते में जमा या संदत्त की जाती है, ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान धारा 44कख के खंड (क) या खंड (ख) के अधीन विनिर्दिष्ट धनीय सीमाओं से अधिक हो जाता है, इस धारा के अधीन आय-कर की कटौती के लिए दायी होगा ।"।

73. आय-कर अधिनियम की धारा 194ज में, 1 जून, 2002 से,— धारा 194ज का संशोधन।

(क) "दस प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर, "पांच प्रतिशत" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) परंतुक के पश्चात्, किंतु स्पष्टीकरण से पूर्व, निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"परंतु यह और ऐसा कोई व्यष्टि या हिंदू अविभक्त कुटुंब, जिसका कुल विक्रय, उसके द्वारा किए जा रहे कारबार या वृत्ति से सकल प्राप्तियां या आवर्त, उस वित्तीय वर्ष के, जिसमें ऐसा कमीशन या दलाली जमा या संदत्त की जाती है, ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान धारा 44कख के खंड (क) या खंड (ख) के अधीन विनिर्दिष्ट धनीय सीमाओं से अधिक हो जाता है, इस धारा के अधीन आय-कर की कटौती के लिए दायी होगा ।"।

74. आय-कर अधिनियम की धारा 194झ में, परंतुक के पश्चात् और स्पष्टीकरण से पूर्व, निम्नलिखित परन्तुक, 1 जून, 2002 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:— धारा 194झ का संशोधन।

"परंतु यह और ऐसा कोई व्यष्टि या हिंदू अविभक्त कुटुंब, जिसका कुल विक्रय, उसके द्वारा किए जा रहे कारबार या वृत्ति से सकल प्राप्तियां या आवर्त, उस वित्तीय वर्ष के, जिसमें किराए के रूप में ऐसी आय जमा या संदत्त की जाती है, ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान धारा 44कख के खंड (क) या खंड (ख) के अधीन विनिर्दिष्ट धनीय सीमाओं से अधिक हो जाता है, इस धारा के अधीन आय-कर की कटौती के लिए दायी होगा ।"।

75. आय-कर अधिनियम की धारा 194ञ में, उपधारा (1) में परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक, 1 जून, 2002 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:— धारा 194ञ का संशोधन।

"परंतु यह और कि ऐसा कोई व्यष्टि या हिंदू अविभक्त कुटुंब, जिसका कुल विक्रय, उसके द्वारा किए जा रहे कारबार या वृत्ति से सकल प्राप्तियां या आवर्त, उस वित्तीय वर्ष के, जिसमें वृत्तिक सेवाओं और तकनीकी सेवाओं से फीस के रूप में ऐसी राशि जमा या संदत्त की जाती है, ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान धारा 44कख के खंड (क) या खंड (ख) के अधीन विनिर्दिष्ट धनीय सीमाओं से अधिक हो जाता है, इस धारा के अधीन आय-कर की कटौती के लिए दायी होगा ।"।

76. आय-कर अधिनियम की धारा 194ट के स्थान पर निम्नलिखित धारा 1 जून, 2002 से रखी जाएगी, अर्थात्:— धारा 194ट के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

'194ट. जहां धारा 10 के खंड (23घ) के अधीन विनिर्दिष्ट किसी पारस्परिक निधि या भारतीय यूनिट ट्रस्ट के यूनिटों की बाबत किसी निवासी को कोई आय संदेय है वहां संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति पाने वाले के खाते में ऐसी रकम जमा करते समय या नकद में या चेक या ड्राफ्ट जारी करके या किसी अन्य ढंग से, इनमें से जो भी पूर्वतर हो उसका संदाय करने के समय उस पर दस प्रतिशत की दर से आय-कर की कटौती करेगा। यूनिटों की बाबत आय।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

1963 का 52

(क) "भारतीय यूनिट ट्रस्ट" से भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अधीन स्थापित भारतीय यूनिट ट्रस्ट अभिप्रेत है ;

(ख) जहां पूर्वोक्त कोई आय, ऐसी आय का संदाय करने के लिए दायी व्यक्ति की लेखा पुस्तकों में किसी खाते में, चाहे वह "उचंत खाते" के नाम से या किसी अन्य नाम से ज्ञात हो, जमा की जाती है वहां ऐसा जमा किया जाना, पाने वाले के खाते में ऐसी रकम का जमा किया जाना समझा जाएगा और इस धारा के उपबंध तदनुसार लागू होंगे । '।

77. आय-कर अधिनियम की धारा 195 की उपधारा (1) के दूसरे परंतुक का 1 जून, 2002 से लोप किया जाएगा । धारा 195 का संशोधन।

78. आय-कर अधिनियम की धारा 195क में, "जहां किसी करार के अधीन" शब्दों के स्थान पर, "धारा 192 की उपधारा (1क) में निर्दिष्ट दशा से भिन्न किसी दशा में, जहां किसी करार के अधीन" शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षर, 1 जून, 2002 से रखे जाएंगे । धारा 195क का संशोधन।

79. आय-कर अधिनियम की धारा 196क की उपधारा (1) के परंतुक का, 1 जून, 2002 से लोप किया जाएगा । धारा 196क का संशोधन।

80. आय-कर अधिनियम की धारा 196ग के परंतुक का 1 जून, 2002 से लोप किया जाएगा । धारा 196ग का संशोधन।

81. आय-कर अधिनियम की धारा 196घ की उपधारा (1) के परंतुक का 1 जून, 2002 से लोप किया जाएगा । धारा 196घ का संशोधन।

82. आय-कर अधिनियम की धारा 197क में उपधारा (1क) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा 1 जून, 2002 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:— धारा 197क का संशोधन।

"(1ख) इस धारा के उपबंध वहां लागू नहीं होंगे जहां, यथास्थिति, उपधारा (1) या उपधारा (1क) में निर्दिष्ट प्रकृति की किसी आय की रकम या ऐसी आयों की कुल रकम जो, उस पूर्व वर्ष के दौरान जिसमें ऐसी आय सम्मिलित की जानी है, जमा की गई हैं या संदाय की गई हैं या जमा किए जाने या संदाय किए जाने की संभावना है उस अधिकतम रकम से अधिक है, जो आय-कर से प्रभार्य नहीं है ।"।

83. आय-कर अधिनियम की धारा 198 में, निम्नलिखित परन्तुक, 1 जून, 2002 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:— धारा 198 का संशोधन।

"परंतु यह कि ऐसी राशि, जो किसी निर्धारिती की आय की संगणना करने के प्रयोजन के लिए धारा 192 की उपधारा (1क) के अधीन संदत्त कर है, प्राप्त हुई आय नहीं समझी जाएगी ।"।

धारा 199 का संशोधन। **84.** आय-कर अधिनियम की धारा 199 को उसकी उपधारा (1) के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा, 1 जून, 2002 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"(2) धारा 192 की उपधारा (1क) के अधीन निर्दिष्ट और केंद्रीय सरकार को संदत्त कोई राशि उस व्यक्ति की ओर से संदत्त कर समझी जाएगी जिसकी आय की बाबत कर का ऐसा संदाय कर दिया गया है और उस निर्धारण वर्ष के लिए जिसके लिए ऐसी आय निर्धारणीय है, इस अधिनियम के अधीन निर्धारण में धारा 203 के अधीन दिए गए प्रमाणपत्र को पेश करने पर इस प्रकार संदत्त राशि के लिए उसको मुजरा की जाएगी ।"।

धारा 200 का संशोधन। **85.** आय-कर अधिनियम की धारा 200 को उसकी उपधारा (1) के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनःसंख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा, 1 जून, 2002 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"(2) ऐसा व्यक्ति, जो धारा 192 की उपधारा (1क) में निर्दिष्ट कोई नियोजक है, कर का संदाय, विहित समय के भीतर केंद्रीय सरकार के खाते में या जैसा बोर्ड निर्दिष्ट करे, वैसा करेगा ।"।

धारा 201 का संशोधन। **86.** आय-कर अधिनियम की धारा 201 की उपधारा (1) में, "यदि ऐसा कोई व्यक्ति" शब्दों के पश्चात्, ", जो धारा 200 में निर्दिष्ट है," शब्द और अंक, 1 जून, 2002 से अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 203 का संशोधन। **87.** आय-कर अधिनियम की धारा 203 को उसकी उपधारा (1) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनःसंख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा, 1 जनवरी, 2002 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"(2) प्रत्येक व्यक्ति, जो धारा 192 की उपधारा (1क) में निर्दिष्ट कोई नियोजक है, ऐसी अवधि के भीतर, जो विहित की जाए, ऐसे व्यक्ति को जिसकी आय की बाबत कर का ऐसा संदाय कर दिया गया है, इस आशय का एक प्रमाणपत्र देगा कि केंद्रीय सरकार को कर संदत्त कर दिया गया है और इस प्रकार संदत्त राशि, वह दर जिस पर कर संदत्त किया गया है, और ऐसी अन्य विशिष्टियां, जो विहित की जाएं, विनिर्दिष्ट करेगा ।"।

नई धारा 206गक का अंतःस्थापन। **88.** आय-कर अधिनियम की धारा 206ग के पश्चात्, निम्नलिखित धारा 1 जून, 2002 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

कर-संग्रहण खाता संख्यांक। "206गक. (1) धारा 206ग के उपबंधों के अनुसार कर का संग्रहण करने वाला प्रत्येक व्यक्ति, ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, निर्धारण अधिकारी को कर-संग्रहण खाता संख्यांक आबंटन करने के लिए आवेदन करेगा।

(2) जहां किसी व्यक्ति को कोई कर-संग्रहण खाता संख्यांक आबंटित कर दिया गया है वहां ऐसा व्यक्ति ऐसे संख्यांक का निम्नलिखित में हवाला देगा,—

(क) धारा 206ग की उपधारा (3) के उपबंधों के अनुसार किसी राशि के संदाय के लिए सभी चालानों में ;

(ख) धारा 206ग की उपधारा (5) के अधीन दिए गए सभी प्रमाणपत्रों में ;

(ग) किसी आय-कर प्राधिकारी को धारा 206ग की उपधारा (5क) या उपधारा (5ख) के उपबंधों के अनुसरण में प्रदत्त सभी विवरणियों में ; और

(घ) ऐसे संव्यवहारों से संबंधित सभी दस्तावेजों में जो राजस्व के हित में विहित किए जाएं ।"।

धारा 210 का संशोधन। **89.** आय-कर अधिनियम की धारा 210 की उपधारा (3) में "और उसने उपधारा (1) के अधीन अग्रिम कर का संदाय नहीं किया है" शब्दों, कोष्ठकों और अंक का, 1 जून, 2002 से लोप किया जाएगा ।

धारा 244क का संशोधन। **90.** आय-कर अधिनियम की धारा 244क में, उपधारा (1) के खंड (क) और खंड (ख) में, "तीन बटा चार प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर "दो बटा तीन प्रतिशत" शब्द 1 जून, 2002 से रखे जाएंगे ।

धारा 245ग का संशोधन। **91.** आय-कर अधिनियम की धारा 245ग की उपधारा (1ङ) का, 1 जून, 2002 से लोप किया जाएगा ।

धारा 245घ का संशोधन। **92.** आय-कर अधिनियम की धारा 245घ में, 1 जून, 2002 से,—

(क) उपधारा (1) में, "समझौता आयोग आदेश द्वारा आवेदन पर कार्यवाही किया जाना अनुज्ञात कर सकेगा या आवेदन को नामंजूर कर सकेगा" शब्दों के स्थान पर "समझौता आयोग, जहां संभव हो, उस मास के, जिसमें धारा 245ग के अधीन ऐसा आवेदन किया गया था, अंत से एक वर्ष की अवधि के भीतर आदेश द्वारा आवेदन को नामंजूर करेगा या आवेदन पर कार्यवाही किया जाना अनुज्ञात करेगा" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उपधारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(4क) समझौता आयोग, जहां संभव हो, उपधारा (1) के अधीन कार्यवाही किए जाने के लिए अनुज्ञात किए गए प्रत्येक आवेदन में उस वित्तीय वर्ष के, जिसमें ऐसे आवेदन पर कार्यवाही की जानी अनुज्ञात की गई थी, अंत से चार वर्ष की अवधि के भीतर उपधारा (4) के अधीन आदेश पारित करेगा ।"।

धारा 245जक का लोप। **93.** आय-कर अधिनियम की धारा 245जक का, 1 जून, 2002 से लोप किया जाएगा ।

धारा 252 का संशोधन। **94.** आय-कर अधिनियम की धारा 252 में, उपधारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

"(3) केंद्रीय सरकार, अपील अधिकरण के ज्येष्ठ उपाध्यक्ष या उपाध्यक्षों में से किसी एक को उसका अध्यक्ष नियुक्त करेगी ।"।

धारा 269न के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन। **95.** आय-कर अधिनियम की धारा 269न के स्थान पर निम्नलिखित धारा 1 जून, 2002 से रखी जाएगी, अर्थात् :—

कतिपय उधारों या निक्षेपों के प्रतिसंदाय का ढंग। '269न. किसी बैंककारी कंपनी या सहकारी सोसाइटी की कोई शाखा और कोई अन्य कंपनी या सहकारी सोसाइटी और कोई फर्म या अन्य व्यक्ति, उनको दिए गए किसी उधार या किए गए निक्षेप का प्रतिसंदाय ऐसे व्यक्ति के, जिसने ऐसा उधार दिया है या निक्षेप किया है, नाम लिखे गए, पाने वाले के खाते में देय चेक द्वारा या पाने वाले के खाते में देय बैंक ड्राफ्ट द्वारा ही करेगा अन्यथा नहीं, यदि,—

(क) उधार या निक्षेप की रकम, उस पर संदेय ब्याज सहित, यदि कोई है, या

(ख) ऐसे प्रतिसंदाय की तारीख को, ऐसे व्यक्ति द्वारा बैंककारी कंपनी या सहकारी सोसाइटी की शाखा में या, यथास्थिति, अन्य कंपनी या सहकारी सोसाइटी या फर्म या अन्य व्यक्ति के पास चाहे अपने नाम में या किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्ततः धारित उधारों और निक्षेप की कुल रकम, ऐसे उधारों या निक्षेपों पर संदेय ब्याज सहित, यदि कोई हो,

बीस हजार रुपए या उससे अधिक है :

परंतु जहां प्रतिसंदाय किसी बैंककारी कंपनी या सहकारी सोसाइटी की शाखा द्वारा किया जाना है वहां ऐसा प्रतिसंदाय ऐसी शाखा में उस व्यक्ति के, जिसको ऐसे उधार या निक्षेप का प्रतिसंदाय किया जाना है, बचत बैंक खाते में या चालू खाते में (यदि कोई है) ऐसे उधारों या निक्षेपों की रकम जमा करके भी किया जा सकेगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(i) "बैंककारी कंपनी" का वही अर्थ है जो धारा 269धध के स्पष्टीकरण के खंड (i) में है ;

1949 का 10

(ii) "सहकारी बैंक" का वही अर्थ है जो बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के भाग 5 में है ;

(iii) "उधार या निक्षेप" से धन का कोई उधार या निक्षेप अभिप्रेत है जो सूचना के पश्चात् प्रतिसंदेय है या किसी अवधि के पश्चात् प्रतिसंदेय है और कंपनी से भिन्न किसी व्यक्ति की दशा में इसके अंतर्गत किसी भी प्रकृति का उधार और निक्षेप है ।'।

96. आय-कर अधिनियम की धारा 269पण के पश्चात्, निम्नलिखित धारा 1 जुलाई, 2002 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:— नई धारा 269पत का अंतःस्थापन।

"269पत. इस अध्याय के उपबंध 1 जुलाई, 2002 को या उसके पश्चात् हुए किसी स्थावर संपत्ति के अंतरण को या उसके संबंध में लागू नहीं होंगे ।"। अध्याय का वहां लागू न होना जहां स्थावर संपत्ति का अंतरण निश्चित तारीख के पश्चात् होता है।

97. आय-कर अधिनियम की धारा 271 की उपधारा (1) में,— धारा 271 का संशोधन।

(क) आरंभिक भाग में, "आयुक्त (अपील)" शब्दों और कोष्ठकों के पश्चात् "या आयुक्त" शब्द, 1 जून, 2002 से अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ख) खंड (ii) में, "संदेय किसी कर के अतिरिक्त" शब्दों के स्थान पर, "संदेय कर के अतिरिक्त, यदि कोई है," शब्द 1 अप्रैल, 2003 से रखे जाएंगे ;

(ग) खंड (iii) में, "संदेय किसी कर के अतिरिक्त" शब्दों के स्थान पर "संदेय कर के अतिरिक्त, यदि कोई है," शब्द 1 अप्रैल, 2003 से रखे जाएंगे ;

(घ) स्पष्टीकरण 1 के खंड (क) में, "आयुक्त (अपील)" शब्दों और कोष्ठकों के पश्चात्, "या आयुक्त" शब्द, 1 जून, 2002 से अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ङ) स्पष्टीकरण 3 में, "जो इस अधिनियम के अधीन पहले निर्धारित नहीं किया गया है," शब्दों का, 1 अप्रैल, 2003 से लोप किया जाएगा ;

(च) स्पष्टीकरण 4 के खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड 1 अप्रैल, 2003 से रखा जाएगा, अर्थात्:—

"(क) किसी ऐसे मामले में, जिसमें आय की उस रकम का जिसके संबंध में विशिष्टियों को छिपाया गया है या गलत विशिष्टियां दी गई हैं, प्रभाव विवरणी में घोषित हानि को कम करना या उस हानि को आय में संपरिवर्तित करना है, वह कर अभिप्रेत है जो उस आय पर, जिसके संबंध में विशिष्टियों को छिपाया गया है या गलत विशिष्टियां दी गई हैं, प्रभार्य होता यदि ऐसी आय कुल आय होती ;";

(छ) स्पष्टीकरण 7 में, "आयुक्त (अपील)" शब्दों और कोष्ठकों के पश्चात्, "या आयुक्त" शब्द, 1 जून, 2002 से अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

98. आय-कर अधिनियम की धारा 271च के स्थान पर, निम्नलिखित धारा 1 जून, 2002 से रखी जाएगी, अर्थात्:— धारा 271च के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

"271च. यदि कोई व्यक्ति, जिससे धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन या उस उपधारा के परंतुकों की अपेक्षानुसार अपनी आय की विवरणी देने की अपेक्षा की जाती है, सुसंगत निर्धारण वर्ष के अंत से पूर्व ऐसी विवरणी देने में असफल रहता है तो निर्धारण अधिकारी यह निदेश दे सकेगा कि ऐसा व्यक्ति शास्ति के रूप में पांच हजार रुपए की राशि का संदाय करेगा ।"। आय-कर की विवरणी देने में असफलता के लिए शास्ति।

99. आय-कर अधिनियम की धारा 272क में,— धारा 272क का संशोधन।

(क) उपधारा (1) के खंड (घ) का 1 जून, 2002 से लोप किया जाएगा ;

(ख) उपधारा (2) में खंड (ङ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड 1 अप्रैल, 2003 से रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(ङ) आय की ऐसी विवरणी देने में जिसे देने के लिए उससे धारा 139 की उपधारा (4क) या उपधारा (4ग) के अधीन अपेक्षा की जाती है या उसे अनुज्ञात समय के भीतर और उन उपधाराओं के अधीन अपेक्षित रीति से देने में ; या"।

100. आय-कर अधिनियम की धारा 272कक के पश्चात्, निम्नलिखित धारा, 1 जून, 2002 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:— नई धारा 272ख का अंतःस्थापन।

"272ख. (1) यदि कोई व्यक्ति, धारा 139क के उपबंधों का अनुपालन करने में असफल रहता है तो वह, निर्धारण अधिकारी यह निदेश दे सकेगा कि ऐसा व्यक्ति शास्ति के रूप में दस हजार रुपए का संदाय करेगा। धारा 139क के उपबंधों के अनुपालन में असफलता के लिए शास्ति।

(2) यदि कोई व्यक्ति, जिससे धारा 139क की उपधारा (5) के खंड (ग) में निर्दिष्ट किसी दस्तावेज में अपना स्थायी खाता संख्यांक का हवाला देने या उस धारा की उपधारा (5क) की अपेक्षानुसार ऐसा संख्यांक संसूचित करने की अपेक्षा की जाती है, ऐसे किसी संख्यांक का हवाला देता है या संसूचना देता है, जो मिथ्या है, और जो उसकी जानकारी या विश्वास से मिथ्या है, या उसका यह विश्वास है कि वह सही नहीं है, तो निर्धारण अधिकारी यह निदेश दे सकेगा कि ऐसा व्यक्ति शास्ति के रूप में दस हजार रुपए का संदाय करेगा।

(3) उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसे व्यक्ति को, जिस पर शास्ति अधिरोपित किए जाने का प्रस्ताव है, मामले में सुने जाने का अवसर नहीं दे दिया जाता है ।"।

नई धारा 272खखख का अंतःस्थापन।

101. आय-कर अधिनियम की धारा 272खख के पश्चात्, निम्नलिखित धारा 1 जून, 2002 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

धारा 206गक के उपबंधों का अनुपालन करने में असफलता के लिए शास्ति।

"272खखख. (1) यदि कोई व्यक्ति धारा 206गक के उपबंधों का अनुपालन करने में असफल रहता है तो वह, निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश पर, दस हजार रुपए की राशि का शास्ति के रूप में संदाय करेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस व्यक्ति को जिस पर शास्ति अधिरोपित करने का प्रस्ताव है, ऐसे विषय में सुनवाई का अवसर नहीं दे दिया जाता है ।"।

धारा 273ख का संशोधन।

102. आय-कर अधिनियम की धारा 273ख में, 1 जून, 2002 से,—

(क) "धारा 272कक की उपधारा (1) या" शब्दों, अंकों, अक्षरों और कोष्ठकों के पश्चात्, "धारा 272ख या" शब्द, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ख) "धारा 272खख या" शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर "धारा 272खख या धारा 272खखख की उपधारा (1) या" शब्द, अंक, अक्षर और कोष्ठक 1 जून, 2002 से, रखे जाएंगे ।

नई धारा 275ख का अंतःस्थापन।

103. आय-कर अधिनियम की धारा 275क के पश्चात्, निम्नलिखित धारा, 1 जून, 2002 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

धारा 132 की उपधारा (1) के खंड (ii‌ख) के उपबंधों के अनुपालन में असफलता।

"275ख. यदि ऐसा कोई व्यक्ति, जिससे धारा 132 की उपधारा (1) के खंड (ii‌ख) की अपेक्षानुसार लेखा पुस्तकों या अन्य दस्तावेजों के निरीक्षण के लिए प्राधिकृत अधिकारी को आवश्यक सुविधा प्रदान करने की अपेक्षा की गई है, प्राधिकृत अधिकारी को ऐसी सुविधा प्रदान करने में असफल रहता है तो वह ऐसी अवधि के कठोर कारावास से, जो दो वर्ष तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा और जुर्माने के लिए भी दायी होगा ।"।

धारा 279 का संशोधन।

104. आय-कर अधिनियम की धारा 279 की उपधारा (1) में, "धारा 275क" शब्द, अंकों और अक्षर के पश्चात्, ", धारा 275ख" शब्द, अंक और अक्षर, 1 जून, 2002 से अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

द्वितीय अनुसूची का संशोधन।

105. आय-कर अधिनियम की द्वितीय अनुसूची के नियम 68क के उपनियम (3) में, "नौ प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर, "आठ प्रतिशत" शब्द 1 जून, 2002 से रखे जाएंगे ।